कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर,
इटावा

पत्रांक :–2664 /भो0प्र0/अनुमति/ दिनांक 18/11/ ,2019

विषय :– Permission for Crossing of various river, canal, distributary, minor by (12") Dia (324mm) Carbon steel pipeline of CGD project of Kanpur Dehat, Auraiya & Etawah.

MANAGER- TORRENT GAS POWER LTD. 3RD FLOOR, SAI PALACE, HIG-IB, CHANDRA VIHAR, LAKHANPUR, KANPUR- 208002

उपरोक्त विषयक एवं आपका पत्र संख्या– TGPL/GA-79/2019-20/KNP/028 Date 08.07.2019 का अवलोकन करने का कृपा करें। जिसके द्वारा जनपद औरैया में भोगनीपुर शाखा एवं राजवाहों तथा माइनरों की जमीन के नीचे आप द्वारा (12") Dia (324mm) व्यास की गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की वॉछना की है। उसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नहरों पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

क्रमांक	नहर का नाम	नहर का चैनेज (कि0मी0)	क्रॉसिंग लेन्थ (मीटर)
1	भरसेन राजवाहा	1.800	18.00
2	मिर्जापुर माइनर	1.000	12.00
3	भोगनीपुर शाखा	158.774	40.00
4	खोजाफूल राजवाहा	0.900	16.00
5	भोगनीपुर शाखा	154.520	70.00
6	मधूपुर माइनर	2.400	12.00
7	पन्हर स्केप	1.100	22.00
8	चिरूहूली राजवाहा	9.500	22.00
9	शहाब्दा राजवाहा	4.200	22.00
10	पूठा माइनर	1.500	22.00

1– आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई ड्राइंग के अनुसार गैस पाइप लाइन नहरों की तली से कम से कम 2.00 मीटर (दो मीटर) नीचे गहराई में डाली जाये।

2– कार्य के दौरान नहर के पक्के/कच्चे स्ट्रक्चर को कोई क्षति न पहुंचाई जाये, तथा कार्य के दौरान नहर पर पानी का बहाव न अवरूद्ध किया जाये न ही डाइवर्ट किया जाये।

3– नहर पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्य प्रारम्भ की तिथि से लिखित रूप में अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को मौके पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जा सके।

4– कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नहर पर कोई भी मलवा इत्यादि न छोड़ा जाये तथा कार्य पूर्णतः की सूचना खण्ड को उपलब्ध कराई जाये।

5– कार्य पूर्ण होने के बाद नहर के सैक्शन को सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निर्देशानुसार मूल रूप में करा दिया जायें।

6– कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की देख–रेख में किया जाये।

7– कार्य सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की देख–रेख में न होने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

8– भविष्य में नहर में किसी भी प्रकार का चौड़ीकरण/सुदृणीकरण प्रस्तावित होने पर यदि आवश्यक होगा तो कम्पनी के द्वारा स्वयं के खर्चे से पाइप लाइन को हटवाना पड़ेगा।

9– प्रदान की गई अनुमति अन्तरणीय नही होगी।

10– कार्य स्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जायें एवं साइन बोर्ड अवश्य लगाया जायें।

11– प्रस्तावित कार्य करते समय कार्यस्थल पर अनुमति पत्र सदैव रखा जाये ताकि उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय दिखाया जा सके।

12– पाइप लाइन की स्थापना मरम्मत सम्बन्धित अन्य कार्यो के सम्पादन के समय या पश्चात जनसुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुघटना या क्षति या उनके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी।

13– आपके द्वारा प्रस्तावित कार्य का विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, एवं इस कार्य हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं है।

P. Sagar
18.11.2019
अधिशासी अभियन्ता
भोगनीपुर प्रखण्ड नि0गं0न0,इटावा।

पत्रांक :– /भो0प्र0/अनुमति/तदिनांक ,2019

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता चतुर्थ, भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा को आपके पत्र संख्या–504/दिनांक 14.11.2019 के द्वारा उपलब्ध कराई गई जॉच आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18.11.19

अधिशासी अभियन्ता
भोगनीपुर प्रखण्ड नि0गं0न0,इटावा।

For Torrent Gas Pvt.Ltd.
Aashit Srivastava
General Manager
20/1/22